न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 107/2025 निर्णय दिनांक 16.04.2026
ऑनलाईन नम्बर 2025/215

श्याम सुन्दर शर्मा पुत्र सीताराम जाति ब्राहम्ण निवासी आडसर पुरोहितान तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर हाल मुखर्जी रोड हावडा कलकता, वेस्ट बंगाल

—वादी—

बनाम

1.स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीडूंगरगढ, जिला बीकानेर

—प्रतिवादी—

2. रामावतार पुत्र शंकरलाल 3. गायत्री पुत्री शंकरलाल 4. सुमन पुत्री शंकरलाल 4. लक्ष्मीदेवी पत्नि सीताराम 5. कृष्ण कुमार पुत्र सीताराम 6. विमला पुत्री सीताराम जाति ब्राहम्ण निवासीगण आडसर पुरोहितान तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

—गौण प्रतिवादीगण—

उपस्थितिः—

1. श्री कैलाश सारस्वत अभिभाषक वादी।
2. प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 6 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही
3. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीए व 136 भू—राजस्व अधिनियम

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी की ओर से वाद पत्र निम्न आधारों पर डिक्री किये जाने हेतू सादर प्रस्तुत है कि वादी ग्राम आडसर पुरोहितान तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर का स्थायी निवासी है। वादी के दादा श्री लाधूराम पुत्र चुन्नीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी आडसर पुरोहितान तहसील श्रीडूंगरगढ की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 82/1 तादादी 14 बीघा 2 बिस्वां रोही ग्राम आडसर पुरोहितान में स्थित था। वादी के दादा श्री लाधूराम जी ने अपने जीवनकाल में ही वादगत खेत खसरा नम्बर 82/1 तादादी 14 बिघा 2 बिस्वां में 5 बीघा कृषि भूमि उप पंजीयक कार्यालय श्रीडूंगरगढ़ में पंजीबद्ध वसीयतनामा के आधार पर वादी को वसीयत कर दी । वादी के दादा श्री लाधूराम की मृत्युपरान्त उनके द्वारा की गयी वसीयतानुसार वादगत खेत की खातेदारी वादी व अन्य खातेदारों के नाम दर्ज कर दी गयी । वादगत खेत खसरा नम्बर 82/1 तादादी 14 बिघा 2 बिस्वां के कालान्तर में नये खसरा नम्बर 222 तादादी 3.5700 हैक्टेयर कायम हुए जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज चले आ रहें हैं एवं वर्तमान राजस्व रिकार्ड अनुसार वादी का वादगत खेत में 253/714 हिस्सा दर्ज चला आ रहा हैं जिस पर वादी की कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग चला आ रहा है । वादी के दादा श्री लाधूराम द्वारा वादगत खेत की वसीयत निष्पादित करवाते समय वसीयत में वादी का घर में बोलता नाम श्यामलाल अंकित कर दिया गया एवं उसी अनुसार वसीयत अनुसार इंतकाल दर्ज करते समय वादगत खेत के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम श्यामलाल अंकित कर दिया गया जबकि वादी का सही एवं शुद्ध नाम श्याम सुन्दर शर्मा हैं जो वादी के अन्य सभी सरकारी एवं अर्द्धसरकारी दस्तावेजों में दर्ज चला आ रहा है । वादगत खेत के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम अशुद्ध दर्ज चला आ रहा होने से वादी को सरकारी योजनाओं का

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

लाभ लेने में व अन्य अनेक प्रकार के कृषि विकास कार्य करने में कठिनाई आ रही है । वादी ने वादगत खेत में स्थित अपने हिस्से में विकास कार्य करवाने के लिए दिनांक 01.05.2025 को राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी की नकल प्राप्त की तो राजस्व रिकार्ड की उक्त अशुद्धि का पता चला, तब वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से वादगत खेत के राजस्व रिकार्ड में अपना नाम ''श्यामलाल'' की जगह शुद्ध करके ''श्याम सुन्दर शर्मा'' दर्ज करने का निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर की कार्यवाही बताते हुए सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना नाम दुरूस्त करने से इंकार कर दिया। वादगत खेत का रिकार्डेड संयुक्त काबिज काश्तकार होने से वादी को दावा का वादाधार प्राप्त हैं एवं प्रतिवादी द्वारा रिकार्ड दुरूस्त करने से किये गये इंकार से प्रतिवादी के विरूद्ध वादहेतू प्राप्त है वादी वादगत खेत का रिकार्डेड संयुक्त काबिज काश्तकार हैं जिसका राजस्व रिकार्ड में नाम गलत दर्ज चला आ रहा होने से वादी को अपने खातेदारी अधिकारों का उपयोग करने में कठिनाईयां आ रही है । वादगत खेत के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम अशुद्ध दर्ज चला आ रहा हैं जिसे दुरूस्त करवाया जाना आवश्यक है । वादी इस दावा के माध्यम से वादगत खेत के राजस्व रिकार्ड में अपना वास्तविक व शुद्ध नाम ''श्याम सुन्दर शर्मा'' घोषित करवाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाना चाहता हैं जिसका कि वादी कानूनन अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 वादगत खेत के संयुक्त खातेदार हैं जिन्हें वादगत खेत के संयुक्त खातेदार होने से दावा में प्रतिवादी पक्षकार संयोजित किया गया हैं । प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 से प्रत्यक्ष किसी प्रकार का अनुतोष नही चाहा गया हैं । प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध दावा प्रस्तुत करने से पूर्व दो माह का कानूनी नोटिस देने का प्रावधान हैं परन्तु वादी का दावा अर्जेन्ट नेचर का हैं। अगर स्टेट को दो माह का नोटिस देकर दावा पेश किया गया तो वादी को अहम नुकसान होगा। इसलिए दावा धारा 80 (2) सीपीसी का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत कर नोटिस की अनिवार्यता से छुट प्राप्त कर प्रस्तुत किया जा रहा है। वादगत खेत गांव आडसर पुरोहितान तहसील श्रीडूंगरगढ़ की रोही में स्थित हैं इसलिए दावा मान्नीय न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है। दावा घोषणात्मक व रिकार्ड दुरूस्ती अनुतोष का हैं जो पूर्ण कोर्ट फिस पर प्रस्तुत है। दावा प्रतिवादी द्वारा की गयी इंकारी से हर प्रकार से अन्दर मियांद प्रस्तुत है । अतः वादी वादपत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् जी से निवेदन करता हैं कि दावा बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी निम्नप्रकार से सादर डिक्री फरमाया जावेः–

(क) कि वादगत खेत खसरा नम्बर 222 तादादी 3.5700 हैक्टेयर रोही आडसर पुरोहितान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर के राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादी का नाम ''श्यामलाल'' की जगह ''श्याम सुन्दर शर्मा'' घोषित किया जावें एवं उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने का आदेश प्रतिवादी संख्या 1 को दिया जावें ।

(ख) कि अन्य कोई अनुतोष जो हितकर वादी हो अथवा दौराने दावा हितकर वादी हो जावें वह भी प्रदान किया जावें । श्रीमान् जी कि अतिकृपा होगी ।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। स्टेट की ओर से पैरोकारराज उपस्थित। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 6 की ओर से तामिल उपरान्त भी कोई असालतन व वकालतन हाजिर नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। स्टेट की ओर से पैरोकारराज द्वारा जवाबदावा पेश किया। वाद में विवाद्यक बिन्दु नहीं होने के कारण तनकीहात कायम नहीं की गई। बहस उभयपक्षकारान

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

सुनी गई। संक्षेप में स्टेट को वादी वाद स्वीकार करने में आपत्ति नहीं होने व वादी वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 222 तादादी 3.5700 हैक्टेयर रोही आडसर पुरोहितान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम ''श्यामलाल'' के स्थान पर ''श्याम सुन्दर शर्मा'' घोषित किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तदनुसार पालना सुनिश्चित करें। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी,
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

अन्तिम डिकी मुकदमें इन्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूॅगरगढ

पीठासीन अधिकारी शुभम शर्मा आरएएस

उनवान

श्याम सुन्दर शर्मा पुत्र सीताराम जाति ब्राहम्ण निवासी आडसर पुरोहितान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर हाल मुखर्जी रोड़ हावड़ा कलकता, वेस्ट बंगाल।

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीडूंगरगढ़, जिला बीकानेर (राजस्थान)
2. रामावतार पुत्र शंकरलाल 3. गायत्री पुत्री शंकरलाल 4. सुमन पुत्री शंकरलाल 4. लक्ष्मी देवी पत्नि सीताराम 5. कृष्ण कुमार पुत्र सीताराम 6. विमला पुत्री सीताराम जाति ब्राहम्ण निवासीगण आडसर पुरोहितान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

मुकदमा नम्बर 107/2025

दावा बाबत खाताः घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती

निर्णय दिनांक 16.04.2026

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी श्री कैलाश सारस्वत अधिवक्ता मिनजानिब मुदई व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 6 के विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही एवं स्टेट की ओर से पैरोकारराज मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि खेत खसरा नम्बर 222 तादादी 3.5700 हैक्टेयर रोही आडसर पुरोहितान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम "श्यामलाल" के स्थान पर "श्याम सुन्दर शर्मा" घोषित किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।

लीज....0......मुबलिग......0........बाबत......0.........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0..फीसदी सालाना आज को जारी..........तारीख वसूलयाबी.......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 16 माह 04 सन् 2026 को जारी किया गया ।

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूंगरगढ

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4........रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4. साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	0	योग	0

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)